रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-667/2025/1406/22-2-2023-17(550)/2023

लखनऊ:दिनांक: 27 जून, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, आजमगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भोला चौधरी (बन्दी सं0-20/21) पुत्र श्री कालिका चौधरी, जो आमघाट, थाना-बॉसडीह, जनपद-बलिया का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-235/1978 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश बलिया के आदेश दिनांक 31.07.1979 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 24-02-1994 द्वारा दोषमुक्त किया गया। मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेश दिनांक 10-12-2002 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय बलिया द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया, बन्दी द्वारा दिनांक 30.03.2023 तक 10 वर्ष, 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 11 वर्ष, 05 माह, 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण, तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति किये जाने तथा दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो, तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, बलिया के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-667/2025/1406(1)/22-2-2023-17(550)/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- **पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।**
2- **जिला मजिस्ट्रेट, बलिया।**
3- **पुलिस अधीक्षक, बलिया।**
4- **वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, आजमगढ।**
5- **निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।**
6- **निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।**
7- **कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।**
8- **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।